

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

निर्णय दिनांक 07/12/2016

प्रकरण सं०...82/2016

सरकार बनाम...इंगर सिंह पुत्र सोहन सिंह

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी जालवाली की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई।


अप्रार्थी श्री इंगर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति राजपूत
साकिन जालवाली ग्राम जालवाली खसरा नं. 1455
जो कि रिकार्ड में 38.55 भूमि दर्ज है में से 0.55 हे० भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किय गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है।

अतः अप्रार्थी श्री इंगर सिंह राजपूत को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम... के खसरा नं. 1455 रकबा 5.00 हे० भूमि का सम्बन्ध 2073 का अतिकमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक इंचटेयर की कुल दर रुपये 0.55 की दर से 5.00 हे० का 20 गुणा रुपये 55/2 अक्षरे रुपये पंचपत्त (1/2) कायम किया जाता है तथा उक्त अतिकमी का तुरन्त 21.3 भूमि से वेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट भेज करें तथा गोंग कायमी टी.आर.को दर्ज करवाई जाये।

यह निर्णय आज दिनांक 07/12/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर